न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 4014/तीन/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 27-10-2013 पारित द्वारा तहसीलदार परगना ईसागढ़ जिला अशोकनगर प्रकरण क्रमांक 3/अ-12/2013-14

1- मुंशीलाल
2- गनपत सिंह पुत्रगण लाटूरी यादव
निवासीगण ग्राम विजयपुरा तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर ..... आवेदकगण

विरुद्ध

1- श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी रामपालसिंह
निवासी सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर

2- म.प्र. शासन ..... अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] श्रीवास्तव
अनावेदक क्र.1 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.सी. शर्मा
अनावेदक क्र.2 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अग्रवाल

आदेश

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार परगना ईसागढ़ जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27-10-13 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है किंतु निगरानी आवेदन के साथ राजस्व निरीक्षक के पंचनामा की प्रति पेश [illegible] है।

2/ आवेदक की ओर से [illegible] अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से [illegible] आवेदक सीमांकन की गई भूमि के [illegible] सीमांकन के [illegible]

M

नहीं दी गई और ना ही सुनवाई का मौका दिया गया है ऐसी स्थिति में सीमांकन प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ;

3- अनावेदक क. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि दिनांक 27-10-13 का तहसीलदार का कोई आदेश नहीं है बल्कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30-10-13 को पारित किया है जिसकी निगरानी नहीं की गई है ... पंचनामा के ऊपर है । सीमांकन में आवेदकों का कौन सा रकबा कम हुआ है इसका उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही कोई नक्शा लगाया गया है आवेदकगण द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर किए जाने से इंकार किया गया है ऐसी स्थिति में जो सीमांकन हुआ है उसे स्थिर रखा जाना चाहिए

4- अनावेदक क. 2 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5- उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी सीमांकन पंचनामा दिनांक 27-10-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है यद्यपि आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में तहसीलदार का आदेश दिनांक 27-10-13 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किया जाना उल्लेख किया गया है परन्तु तहसीलदार द्वारा दिनांक 27-10-13 को कोई आदेश पारित न कर 30-10-13 को सीमांकन का आदेश पारित किया गया। अतः यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है आवेदक तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध विधिवत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर